बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं0-स0क0निग0-99/2023-...335.../सुश्री पूजा कुमारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर सम्प्रति सारण, छपरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-3750/सी०जी० दिनांक-02.06.2023 से प्राप्त पत्र में विभागीय कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, प्रोत्साहन राशि के लिये दिव्यांगजनों को दौड़ाने, बिना सूचना दिये हुए तथा अवकाश स्वीकृत कराये हुए मुख्यालय कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, लगातार उदासीनता एवं लापरवाही बरतने, मनमाने रूप से कार्यालय आने एवं जाने तथा पृच्छा करने पर भामक सूचना देने, जॉच हेतु मेडिकल बोर्ड गठित किये जाने पर बोर्ड के समक्ष उपस्थापित नहीं होने, अवकाश हेतु दिये गये आवेदन के संबंध में संबंधित अवधि का अवकाश समायोजन हेतु लंबित रहने के बावजूद माह मई 2022 के वेतन की निकासी कर लिये जाने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए मनमानी एवं स्वेच्छाचारी रवैया अपनाने, इन्हें कई बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं देखे जाने, इनके द्वारा बीमारी का बहाना बनाकर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए लम्बी छुट्टी में चले जाने जिससे विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने आदि आरोपों को प्रतिवेदित करते हुए विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुश्री पूजा कुमारी को विभागीय अधिसूचना सं०-4372 दिनांक-23.08.2023 द्वारा निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दरभंगा निर्धारित किया गया।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में सुश्री पूजा कुमारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-5106 दिनांक-11.10.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के प्रावधानों के तहत इनसे लिखित अभिकथन / स्पष्टीकरण की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-27.10.2023 के माध्यम से लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री पूजा कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या-293 दिनांक-16.01.2024 द्वारा सुश्री मार्गण सिन्हा, तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन के के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-2845 दिनांक-21.06.2024 द्वारा सुश्री पूजा कुमारी को निलंबनमुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-583 दिनांक-23.01.2025 द्वारा सुश्री पूजा कुमारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप पत्र के आरोप संख्या-01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 12 एवं 13 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-03 एवं 10 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया। उक्त प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-4963 दिनांक-24.06.2025 एवं पत्रांक-6298 दिनांक-25.08.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक-174 दिनांक-

10.07.2025 द्वारा अपना अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रमाणित आरोपों की प्रकृति वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर भ्रष्टाचार आदि से संबंधित न होकर मात्र प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उदासीनता का है। आरोपी पदाधिकारी आरोप के दौरान परीक्ष्यमान प्रशिक्षु पदाधिकारी थे। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी को चेतावनी की सजा देने तथा निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उपरोक्त के आलोक में सुश्री पूजा कुमारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर सम्प्रति सारण, छपरा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14 के स्पष्टीकरण-3 में उल्लेखित **"चेतावनी"** संसूचित किया जाता है तथा सुश्री पूजा कुमारी को उनके निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/1/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-99/2023- 335 पटना-15 दिनांक :- 19.01.2026

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त दरभंगा/सारण/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/छपरा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समस्तीपुर/छपरा/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं सुश्री पूजा कुमारी, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर सम्प्रति सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।